

No.A-32011/01/2012- Ad.IV  
Government of India  
Ministry of Corporate Affairs

Shastri Bhawan, 5<sup>th</sup> floor, A Wing,  
Dr.Rajendra Prasad Road,  
New Delhi: 110001.

Dated: 01-8-2012

**CIRCULAR**

Subject: Filling up of one post of Section Officer (General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial) in the Office of the Company Law Board (CLB), New Delhi, in the pay scale of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- in pay Band -2 on Deputation basis.

-----  
It is proposed to fill up one post of Section Officer (General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial) in the office of the Company Law Board, New Delhi in the pay scale of Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.4600/- in PB -2 on Deputation basis.

2. Eligibility Conditions: Promotion/ Deputation

(i) **Officers under the Central Government ;**

(a)(i) holding analogous posts on regular basis;

Or

(ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs.5500-9000 [Pre-revised] or equivalent; or

(iii) with 6 years' regular service in posts in the scale Rs.5000- 8000/- [Pre-revised] or equivalent; and

(b) possessing two years' experience in matters relating to administration/establishment.

(2) The Departmental Assistant with 6 years regular service in the grade will also be considered along with outsiders. In case he/she is selected for appointment to the post it will be treated as having been filled by promotion.

( The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for promotion. )

**Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.

**Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years, as on the closing date of receipt of applications.


**Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central P5ay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has

been merger of more than- one pre-revised scale of pay in to one grade pay or pay scale with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or scale is the normal replacement grade without any up gradation.

3. Regulation of pay and other terms of deputation:- The pay of the selected candidate will be regulated under the provisions contained in the DOP&T O.M.No.6/8/2009 -Estt.(Pay-II) dated 17/06/2010 as amended from time to time.
4. Application (in duplicate) only in the prescribed proforma (Annexure-I) of the eligible candidates whose services can be spared immediately on selection, together with the certificate from the forwarding authority ( in proforma Annexure-II) along with following documents may be forwarded to Shri Rajinder Singh, Under Secretary Room No.520, 5<sup>th</sup> floor 'A' Wing, Shastri Bhawan, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi:110001, within 60 days of the publication of the advertisement, in the Employment News/Rozgar Samachar.Applications not forwarded through proper channel or those received without the requisites certificates and necessary documents will not be entertained.

The application form may also be downloaded from this Ministry's website at [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) and Company Law Board's website at [www.clb.gov.in](http://www.clb.gov.in).

- (i) Attested photocopies of up to date CR dossier for the last five years.(2006-2007 to 2010-2011). It may kindly be ensured that these are attested by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India.
  - (ii) Vigilance Clearance Certificate (in separate sheet).
  - (iii) Integrity Certificate in a separate sheet signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India.
  - (iv) Statement showing major / minor penalties imposed if any on the officer during the last ten years (in a separate sheet) (if no penalty has been imposed, a Nil certificate should be enclosed.)
5. Applications received after the last date, or applications incomplete in any respect or those not accompanied by the documents/information mentioned in para 4 above, will NOT be considered. The cadre authorities may ascertain that the particulars sent by the officers are correct as per their service records.

  
(Rajinder Singh)

Under Secretary to the Government of India  
Tel. No.23389298

**Copy to:-**

1. All Ministries /Departments of the Government of India, with the request that the vacancy may please be circulated amongst the attached/subordinate offices under their control.
2. The Directorate of Advertising & Visual Publicity, Assistant media Executive (Ad.V), Suchna Bhawan, New Delhi-110003. It is requested that this Vacancy circular may please be published in the very next issue of the 'Employment news'/ Rozgar Samachar.
3. The Secretary, Company Law Board, New Delhi. It is requested that the vacancy circular may please be uploaded in the Website of CLB.
4. All Regional Directors/Registrars of Companies/Official Liquidators, Ministry of Corporate Affairs.
5. All Sections in the Ministry.
6. Competition Appellate Tribunal.
7. Competition Commission of India.
8. Serious Fraud Investigation Office.

Annexure- I

**Proforma for application for the post of Section Officer on Deputation basis in the Office of the Company Law Board, New Delhi.**

**BIO- DATA PROFORMA**

1. Name and postal address (in Block Letters) with Telephone no:-
2. Date of Birth (in Christian Era):
3. Date of retirement under Central Govt. Rules:
4. Educational qualifications (Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient):
5. (a) Do you hold analogous post on regular basis :or  
(b) Do you possess 3 years' regular service in posts in the scale of Rs.5500-9000 [Pre-revised] or equivalent; or  
  
(c) Do you possess 6 years' regular service in posts in the scale Rs.5000- 8000/- [Pre-revised] or equivalent; and  
  
(d) Do you have two years' experience in matters relating to administration/ establishment.
6. Details of employment, in chronological order (Starting from entry in Central Government Service). Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/ organization	Post held With scale of pay	Period of Service		Basic pay & Pay scale (pre-revised)	Basic Pay (revised)			Nature of appointment whether regular/adhoc/ deputation
		From	To		Pay in PB	G.P.	Basic Pay	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Nature of present employment, i.e. adhoc/temporary/permanent .
8. In case the present employment is held on deputation, please state.
  - (a) The date of initial appointment.
  - (b) Period of appointment on deputation.
  - (c) Name of present office/organization to which you belong.
9. Are you in revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale :

Date	Pay-scale (Pre-revised)	Basic Pay (Pre-revised)	Date revision of Pay	of	Revised scale of Pay PB and GP	Revised Basic Pay



10. Total emoluments per month now drawn.
11. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. (Enclose a separate sheet if the space is insufficient).
12. Full postal address of forwarding authority with name and telephone number.
13. Whether belongs to SC/ST/OBC.
14. Remarks

Signature of the Candidate

Full office address:

Tel. No.

E-mail ID:

Date:-

Annexure II

**(Certificate to be furnished by the Employer/Head of office/Forwarding authority)**

Certified that the particulars furnished by ----- are correct and he/she possesses educational qualifications and experience mentioned in vacancy circular. Also certified that:-

- (i) There is no vigilance or disciplinary case pending/contemplated against Sh./Smt. -----.
- (ii) His/her integrity is certified.
- (iii) His/her C.R. dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last five years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary to the Govt. of India or above are enclosed.
- (iv) "No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last ten years."
- (v) A list of major/minor penalties imposed on him/her last ten years is enclosed.

Signature-----

Name and Designation-----

Tel. No.-----

Office Seal

Place :

Date:

List of enclosures:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

(Strike out which is not applicable )

सं. ए. 32011/01/2012-प्रशा.-IV

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

‘ए’ विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,  
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001  
दिनांक: 01-08-2012

**परिपत्र**

विषय: कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), नई दिल्ली में 9300-34800/-रु० वेतनमान के साथ वेतन बैंड 4600/-रु० के के वेतन बैंड-2 में प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुभाग अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग ‘ख’ राजपत्रित, लिपिक वर्गीय) के एक पद को भरना।

-----

कंपनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली में 9300-34800/-रु० वेतनमान के साथ वेतन बैंड 4600/-रु० के वेतन बैंड-2 में प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुभाग अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग ‘ख’ लिपिक वर्गीय) के एक पद को भरे जाने का प्रस्ताव है।

2. पात्रता शर्तें : पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

(i) केन्द्र सरकार के अधिकारी;

(क)(i) नियमिति आधार पर समतुल्य पद धारित करते हों:

अथवा

(ii) 5500-9000/-रु०वेतनमान (पूर्व संशोधित) के पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष; अथवा

(iii) वेतनमान 5000-8000/-रु०(पूर्व संशोधित) के पदों पर 6 वर्षों तक नियमित सेवा अथवा समकक्ष; तथा

ख) प्रशासन/स्थापना से संबंधित मामलों में 2 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

(2) बाह्य लोगों के साथ-साथ इस ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा वाले विभागीय सहायकों पर भी विचार किया जाएगा। यदि उनका चयन इस पद पर नियुक्ति के लिए होता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

(प्रदायक ग्रेड के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी रेखा में हैं, को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्तों को पदोन्नति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा)

**नोट 1 :** इस नियुक्ति से पूर्व केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में किसी अन्य बाह्य कैडर के समान अथवा अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

**नोट 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

**नोट 3 :** पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता सेवा की गणना के उद्देश्य के लिए 1.1.2006 या वह तिथि जबसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित संशोधित वेतन संरचना प्रदान की गई थी, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर दिए गए संगत वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उस मामले के जहां एकाधिक संशोधन पूर्व वेतनमानों को समान ग्रेड पे या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ मात्र उन्हीं पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड पे या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के समान प्रतिस्थापना ग्रेड है।

3. वेतन और प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्तों का नियमन:- चयनित उम्मीदवार का वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.6.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्था. (वेतन-II) में निहित समय-समय पर यथा-संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।
4. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिनकी सेवाएं चयन होने पर तत्काल छोड़ी जा सकें, का निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक- I) में आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) और अग्रेषण प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र (अनुलग्नक- II) में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ श्री राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव, कमरा सं. 520, 5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली-110001 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के अंदर भिजवा दिए जाएं। उचित




माध्यम से न भेजे गए अथवा अपेक्षित प्रमाणपत्रों व दस्तावेजों के बिना प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदनपत्र का प्ररूप मंत्रालय की वेबसाइट [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) तथा कंपनी विधि बोर्ड की वेबसाइट [www.clb.gov.in](http://www.clb.gov.in) से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

- (i) पिछले पांच वर्षों (2006-07 से 2010-11) के अद्यतन सीआर डोजियर की प्रमाणित फोटो प्रतियां। यह सुनिश्चित करें कि ये प्रतियां ऐसे अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की जाएं जिनका स्तर भारत सरकार में अवर सचिव से कम न हो।
- (ii) सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र (अलग शीट में)
- (iii) ऐसे अधिकारी, जिनका स्तर भारत सरकार में उप सचिव स्तर से कम न हो, के हस्ताक्षर के साथ अलग शीट में सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र
- (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई मुख्य/लघु शास्ति, यदि कोई हो, का विवरण (अलग शीट पर) यदि कोई शास्ति नहीं लगाई गई है, तो एक शून्य प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।)

5. अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले अथवा किसी भी प्रकार से अधूरे अथवा उपर्युक्त पैरा-4 में उल्लिखित दस्तावेजों/सूचना के बिना प्राप्त होने पर आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। संवर्ग प्राधिकारी सुनिश्चित करें कि अधिकारियों द्वारा भेजे गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड के अनुसार सही हैं।

  
(राजेंद्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23389298

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्ति परिचालित की जाए।

2. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सहायक मीडिया एक्जीक्यूटिव (एड-4), सूचना भवन, नई दिल्ली-110003 । अनुरोध है कि यह रिक्ति परिपत्र एम्प्लायमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार के अगले अंक में प्रकाशित की जाए।
3. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली। अनुरोध है कि रिक्ति परिपत्र सीएलबी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी प्रादेशिक निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक।
5. मंत्रालय में सभी अनुभाग।
6. प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल।
7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग।
8. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय।

कंपनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद हेतु आवेदन का प्रोफार्मा

**जीवन-वृत्त प्रोफार्मा**

1. नाम एवं दूरभाष संख्या सहित डाक पता (साफ अक्षरों में) :
2. जन्म तिथि (ईस्वी संवत् में) :
3. केन्द्र सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि :
4. शैक्षणिक योग्ताएं (यदि नीचे स्थान अपर्याप्त हो, तो एक अलग कागज संलग्न करें और उसे अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करें):
- 5.(क) क्या आप नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करते हैं : या  
 (ख) क्या आपने 5500-9000/-रुपए के वेतनमान (संशोधन पूर्व) या समान पद में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है; या  
 (ग) क्या आपने 5000-8000/-रुपए के वेतनमान (संशोधन पूर्व) या समान पद में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है; और  
 (घ) आपको प्रशासन/स्थापना से संबंधित मामलों में 2 वर्ष का कार्य अनुभव है।
6. तिथि के अनुक्रम में नियोजन का विवरण (केन्द्र सरकार की सेवा में प्रवेश से प्रारंभ करें)। यदि नीचे स्थान अपर्याप्त हो, तो एक अलग कागज संलग्न करें और उसे अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करें।

कार्यालय/ संगठन	धारित पद वेतनमान सहित	सेवा की अवधि		मूल वेतन एवं वेतनमान (संशोधन पूर्व)	मूल वेतन (संशोधित)			नियुक्ति की प्रकृति नियमित/ तदर्थ/ प्रतिनियुक्ति
		से	तक		पे बैंड में वेतन	ग्रेड पे	मूल वेतन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. वर्तमान नियोजन की प्रकृति, अर्थात् तदर्थ/अस्थायी/स्थायी।

8. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति हो, तो कृपया निम्नलिखित विवरण दें :-

(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि।

(ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि।

(ग) उस कार्यालय/संगठन का नाम जिसमें वर्तमान में कार्यरत हैं।

9. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो वह तिथि बताएं जबसे संशोधन लागू हुआ तथा संशोधन पूर्व वेतनमान भी बताएं :

तिथि	वेतनमान (संशोधन पूर्व)	मूल वेतन (संशोधन पूर्व)	वेतन संशोधन की तिथि	संशोधित वेतनमान, पे बैंड एवं ग्रेड पे	संशोधित मूल वेतन

10. वर्तमान कुल मासिक परिलब्धियां।

11. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उद्धृत करना चाहें। (यदि स्थान अपर्याप्त हो, तो एक अलग कागज संलग्न करें)।

12. नाम एवं दूरभाष संख्या सहित अग्रेषणकर्ता अधिकारी का पूरा डाक पता।

13. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं।

14. टिप्पणी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

पूरा डाक पता

दूरभाष

ई-मेल आईडी

तिथि:

(नियोजक/कार्यालय प्रमुख/अग्रोषणकर्ता अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि ..... द्वारा दिए गए विवरण सही हैं तथा वे रिक्ति परिपत्र में उद्धृत शैक्षणिक अभियोग्यता एवं अनुभव धारण करते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

- (i) श्री/श्रीमती ..... के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।
- (ii) उनकी निष्ठा प्रमाणित है।
- (iii) उनका गोपनीय प्रतिवेदन मूल में संलग्न है/पिछले 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों की भारत सरकार अवर सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित छाया प्रतियां संलग्न हैं।
- (iv) “पिछले 10 वर्षों के दौरान उनपर कोई प्रमुख/गौण दंड नहीं लगाया गया है।”
- (v) पिछले 10 वर्षों के दौरान उनपर लगाए गए प्रमुख/गौण दंडों की सूची संलग्न है।”

हस्ताक्षर .....

नाम और पदनाम .....

दूरभाष .....

कार्यालय मुहर

स्थान :

दिनांक :

अनुलग्नकों की सूची :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

(जो लागू न हों उसे काट दें)